

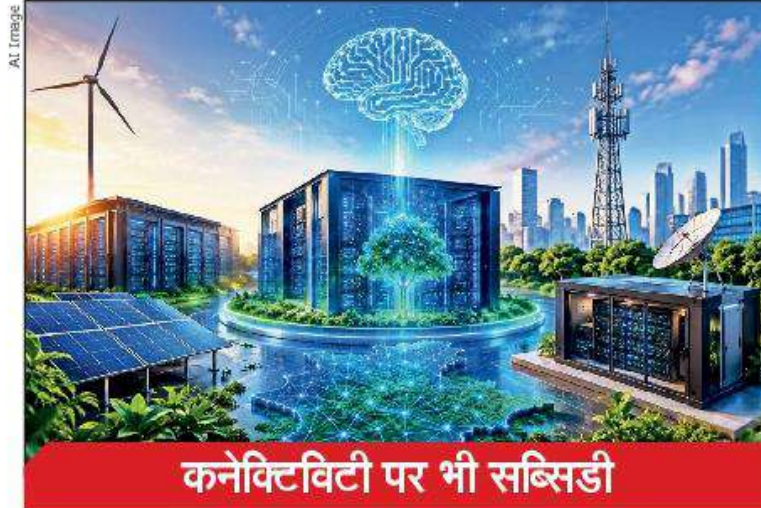
AI आधारित और ग्रीन डेटा सेंटरों को ज्यादा सब्सिडी?

नई पॉलिसी लाएगी सरकार, निवेशकों को मिलेगा ज्यादा प्रोत्साहन

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

योगी सरकार डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 को और आकर्षक बनाते हुए नई डेटा सेंटर पॉलिसी- 2026 लाने जा रही है। नई पॉलिसी में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डेटा सेंटर, ग्रीन और सस्टेनेबल डेटा सेंटर और एज डेटा सेंटर के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है। सरकार का लक्ष्य राज्य में डेटा सेंटर क्षमता 644 मेगावाट से बढ़कर 2030 तक 2 गीगावाट करना है। इसलिए AI जैसी टेक्नॉलजी पर विशेष हौसला अफजाई की तैयारी है।

हाल में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने डेटा सेंटर की प्रगति की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने नई संभावनाओं के प्रोत्साहन और प्रदेश के सभी हिस्सों में डेटा सेंटर के विस्तार के निर्देश दिए थे। नई पॉलिसी को इन संभावनाओं के हिसाब से ही तैयार किया गया है। सूत्रों के अनुसार, बड़ा बदलाव एआई डेटा सेंटरों के लिए किया गया है। 2021 पॉलिसी में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं था, लेकिन अब एआई कम्प्यूटिंग क्षमता विकसित करने वाले डेटा सेंटर पार्कों को 10 करोड़ अतिरिक्त कर्ज सब्सिडी और डेटा सेंटर यूनिटों को 5 करोड़ तक



कनेक्टिविटी पर भी सब्सिडी

एज डेटा सेंटरों को प्रोत्साहन देने के लिए पहली बार इंटरनेट बैकबिड्थ, लीज्ड लाइन और फाइबर कनेक्टिविटी शुल्क पर तीन वर्षों तक 25% प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी जोड़ा गया है। प्रति वर्ष प्रति डेटा सेंटर अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक सहायता मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि एआई, हरित

अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी देने का प्रस्ताव है।

ग्रीन सर्टिफिकेशन पर ज्यादा फायदा : पॉलिसी में पर्यावरण अनुकूल डेटा सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए भी नए प्रोत्साहन जोड़े जा रहे हैं। यदि

ऊर्जा और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेंटरों पर केंद्रित ये नए प्रावधान प्रदेश को देश के प्रमुख डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे। वर्तमान में राज्य में 21,343 करोड़ रुपये के निवेश को मजूरी मिल चुकी है। अब निवेश और क्षमता दोनों ही दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

कोई डेटा सेंटर पार्क या यूनिट मान्यता प्राप्त संस्थाओं से शीर्ष स्तर का ग्रीन सर्टिफिकेशन हासिल करता है और रिन्यूएबल एनर्जी के मानकों को पूरा करता है तो उसे अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा। 5-10 करोड़ की अतिरिक्त

सब्सिडी के साथ ही प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों से बिजली लेने वाले डेटा सेंटरों को 25 वर्षों तक 75% तक अतिरिक्त छूट देने का प्रस्ताव है। डेटा सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टियर-3 और टियर-4 रेटिंग वाले डेटा सेंटरों को भी फीस का 25-50% तक प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। मौजूदा पॉलिसी में यह सुविधा नहीं है।

भूमि छूट का भी दायरा बढ़ेगा : पॉलिसी में भूमि से जुड़े प्रोत्साहनों में भी महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। 2021 की पॉलिसी में लैंड सब्सिडी पर परियोजना लागत के 7.5% प्रतिशत या अधिकतम 75 करोड़ रुपये की सीमा तय है। नई पॉलिसी में सीमा हटाने का प्रस्ताव है। स्टॉप ड्यूटी में मिलने वाली छूट को भी और व्यापक बनाया गया है। पहले यह लाभ केवल भूमि हस्तांतरण तक सीमित था, जबकि अब भूमि के साथ निर्मित क्षेत्र यानी बिल्ट-अप एरिया को भी इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। एक अन्य अहम बदलाव ड्यूल ग्रिड सुविधा को लेकर है। मौजूदा पॉलिसी में यह लाभ पहले आठ डेटा सेंटर पार्कों तक सीमित है। अब यह प्रतिबंध हटाते हुए भविष्य में आने वाले नए डेटा सेंटरों को भी इस सुविधा का लाभ देने का प्रस्ताव किया गया है।